फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

कन्हैयालाल / [illegible]

केस संख्या : 8/2024 (अवमानना)

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	19 3/25	पत्रावली आज दिनांक 19/3/25 को पेश हुई। कि [illegible] एड. बार एसो. [illegible] द्वारा कार्य बहिष्कार किया जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3/4/25 को पेश हो।	
	3 4/25	पत्रावली पेश हुई। व. फ. उप., पत्रावली [illegible] आदेश............ अनुसार आगामी पेशी दिनांक 8/4/25 को पेश हो।	
	8 4/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उप.। प्रा०पत्र अवमानना पर बहस सुनी गई। प्रा०पत्र साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:12:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :— सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 8/2021

कन्हैयालाल बनाम गल्कू

अवमानना प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक 08.04.2025

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अवमानना पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण/वादीगण एवं प्रतिवादीगण/अवमाननाकर्तागण की संयुक्त कब्जे काश्त की एक कृषि आराजी ग्राम प्रतापपुराकलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में भूमि साबिक खसरा नंबर 170 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 171 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 172 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 172 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 173 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 174 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 178 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 341 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 342 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 343 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 344 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 349 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 350 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 351 रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 352 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 353 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 354 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 355 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 356 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 18 कुल रकबा 61 बीघा 14 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि सर्वप्रथम नाथूलाल पुत्र लादू जाति महाजन खण्डेलवाल निवासी ग्राम प्रतापपुराकलां तहसील आमेर जिला जयपुर के कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि थी। श्री नाथूलाल पुत्र लादू ने अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 21.07.1967 को अपना हिस्सा 1/2 जो कि कुए की नाल से उत्तर की ओर स्थित है का विक्रय भूमि का कब्जा वादीगण/प्रार्थीगण के पूर्वज श्री दयाल पुत्र भुवाना व नंदा पुत्र छोटू निवासयान् ग्राम प्रतापपुराकलां तहसील आमेर, जिला जयपुर को विक्रय कर दी। उक्त विक्रयपत्र का पंजीयन 01.08.1967 को उपपंजीयक उपजिला आमेर जिला जयपुर के यहां रजिस्ट्रेशन संख्या 50 बुक नंबर 1 वोल्युम नंबर 16 पृष्ठ संख्या 315 से 319 पर चस्पा किया गया। उक्त भूमि का विक्रय पत्र नाथूलाल पुत्र लादू द्वारा प्रार्थीगण/वादीगण के पूर्वज श्री दयाल पुत्र भुवाना व नंदा पुत्र छोटू के पक्ष में निष्पादित किया गया था उस समय ही विक्रय पत्र में नाथूलाल पुत्र लादू ने अपने एकमात्र कब्जे काश्त खातेदारी भूमि में कुएं की नाल के उत्तरी दिशा की भूमि का विक्रय कर 1/2 भाग का दयाल पुत्र भुवाना व नंदा पुत्र छोटू को कब्जा संभलवाया गया तथा शेष दक्षिणी हिस्सा 1/2 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 18:12:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

1/2 का अंतरण जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांकित 24.01.1984 को निष्पादित कर प्रतिवादीगण के पूर्व हितधारीगण को दक्षिणी भाग का कब्जा संभलवाया गया। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। दिनांक 28.02.2020 को भी प्रतिवादीगण वादीगण/प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर जबरिया कब्जा करने के आशय से आये तथा वादीगण/प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर पशुओं से फसल बचाने के लिए की जा रही तारों की फेंसिग में व्यवधान पैदा करने लगे और तारों की फैंसिंग करने से मना कर दिया तो अवमाननाकर्तागण ने कहा कि हम तो अच्छी से अच्छी भूमि पर कब्जा करके रहेंगे। जिस पर वादी संख्या 1 के शोर मचाने पर आस पास के व्यक्ति इकठ्ठा हो गये तथा प्रतिवादीगण को समझाया कि वादीगण के विक्रयपत्र के मुताबिक अपने हिस्से पर काबिज होकर तारों की फैंसिंग कर रहे है। उपरोक्त भूमि का अभी विभाजन नहीं हुआ है और इस भूमि पर वादीगण अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे है। माननीय न्यायालय के उपरोक्त अंतरिम आदेश के बावजूद भी फिर से दिनांक 12.04.2021 को फिर से प्रतिवादीगण/अवमाननाकर्तागण ने माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेश की धज्जियां उडाते हुए वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में से हरे रोहिडा के वृक्ष एक संरक्षित वृक्ष है जिसका पुष्प राज्य पुष्प है। इस प्रकार दिनांक 12.04.2021 को भी अवमाननाकर्तागण ने माननीय न्यायालय के द्वारा पारित अंतरिम आदेश की अवहेलना की है। उपरोक्त घटना के संबंध में वादीगण/प्रार्थीगण के द्वारा पुलिस थाना हरमाडञ्ञ को लिखित में शिकायत प्रस्तत की है। उपरोक्त वृक्ष के काटे जाने से संबंधित फोटोग्राफ न्यायालय की पत्रावली पर पेश किये जायेंगे।

उत्तदातागण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र धारा 12 न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पेश कर क़थन किया कि ग्राम प्रतापपुराकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में भूमि साबिक खसरा नंबर 170 से 174, 178, 341, 342 से 344, 349 से 349 कुल किता 18 कुल रकबा 61 बीघा 14 बिस्वा स्थित होना एवं जिनके वर्तमान खाता संख्या10 के खसरा नंबर 366, 368, 620, 623 कुल किता 4 कुल रकबा 2.62 हैक्टेयर खाता संख्या 38 के खसरा नंबर 354, 359, 361, 364 कुल किता 4 कुल रकबा 5.53 हैक्टेयर खाता संख्या ... के खसरा नंबर 355 से 358, 362, 363, 365, 367, 369, 370, 371, 373, 374, ..., 6.., 624 कुल किता 16 कुल रकबा 7.37 हैक्टेयर बनना राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित कथन है जिसके जवाब की आवश्यकता नहीं है। श्री नाथूलाल पुत्र लादू ने अपने जीवनकाल में ... भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 21.07.1967 को अपना हिस्सा 1/2 जो कि कुए की नाल से उत्तर की ओर स्थित है का विक्रय भूमि का कब्जा वादीगण/प्रार्थीगण के पूर्वज श्री दयाल पुत्र भुवाना व नंदा पुत्र छोटू को संभलाने का कथन अस्वीकार है। प्रार्थीगण अपने कथनों का स्वयं साबित करें। नाथूलाल पुत्र लादू द्वारा प्रार्थीगण/वादीगण के पूर्वज श्री दयाल पुत्र भुवाना व नंदा पुत्र छोटू के पक्ष में निष्पादित किया गया था उस समय ही विक्रय पत्र में नाथूलाल पुत्र लादू ने अपने एकमात्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:12:30 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

कब्जे काश्त खातेदारी भूमि में कुएं की नाल के उत्तरी दिशा की भूमि का विक्रय कर 1/2 भाग का दयाल पुत्र भुवाना व नंदा पुत्र छोटू को कब्जा संभलवाया गया तथा शेष दक्षिणी हिस्सा 1/2 का 1/2 का अंतरण जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांकित 24.01.1984 को निष्पादित कर प्रतिवादीगण के पूर्व हितधारीगण को दक्षिणी भाग का कब्जा संभलवाया गया। जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है एवं अस्वीकार है। दिनांक 12.04.2021 को किसी वृक्ष को काटा हो, प्रार्थीगण द्वारा कथित वृक्ष उत्तरदातागण द्वारा नहीं काटा गया। बल्कि स्वयं प्रार्थीगण द्वारा काटा गया है। उक्त वृक्ष काटने केसंबंध में दोनों पक्षों में थाने के समक्ष राजीनामा हो गया था व प्रकरण का निस्तारण हो चुका था। उत्तरदातागण ने मान्य न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं की है। प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों व को तोड मरोडकर पेश किया है जो कि निरस्तनीय है।

विद्वान उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में अपनी शहादत प्रस्तुत नहीं की है एवं इसी कारण प्रार्थी की साक्ष्य दिनांक 05.08.2024 को बंद की गई है, किसी भी प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र को निस्तारित करने हेतु साक्ष्यों की अहम भूमिका होती है उक्त प्रार्थनापत्र अवमानना में प्रार्थी को साक्ष्य हेतु कई अवसर दिये जाने के बाद दिनांक 05.08.2024 को साक्ष्य का अवसर बंद किया जा चुका है जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाये है। अतः साक्ष्य के अभाव अवमानना प्रार्थना खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:12:30 IST
Reason: SelfAttested